

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
-:: अधिसूचना ::-

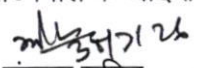
सं0सं0-स0का0 निग0-193/2022...../ श्रीमती कृष्णा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति वारिसनगर, समस्तीपुर के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-1404 दिनांक-03.08.2023 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। उक्त आरोप पत्र में श्रीमती सिंह के विरुद्ध कई मामलों में स्पष्टीकरण की माँग किये जाने पर स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराने, निरीक्षण के क्रम में अनियमितता पाये जाने पर कोई कार्रवाई नहीं करने, समय-समय पर विभिन्न बैठकों में दिये गये निदेश के बावजूद भी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराने, कार्यशैली में कोई सुधार नहीं होने आदि का आरोप प्रतिवेदित किया गया।

जिला पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरांत अवचार या कदाचार के लांछनों के आधार पर विहित प्रपत्र में गठित आरोप पत्र को अनुमोदित करते हुए विभागीय पत्रांक-5791 दिनांक-13.11.2023 द्वारा लिखित अभिकथन की माँग किये जाने पर इनके पत्रांक-729 दिनांक 30.11.2023 से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी एवं समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। जिसके आलोक में विभागीय संकल्प संख्या-2678, दिनांक-12.06.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-16 एवं 17 के अंतर्गत श्रीमती सिंह के विरुद्ध उक्त आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर अपने पत्रांक-2622, दिनांक-16.04.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप संख्या- 06 एवं 11 को आंशिक प्रमाणित माना गया। आंशिक रूप से प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18(3) के प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक-6647, दिनांक-10.09.2025 द्वारा आरोपित पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन की माँग किये जाने पर इनके द्वारा अपने पत्रांक-677, दिनांक-26.09.2025 के माध्यम से लिखित अभ्यावेदन/ निवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या-2577, दिनांक-27.05.2026 द्वारा श्रीमती कृष्णा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति वारिसनगर, समस्तीपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 (v) के प्रावधानों के तहत एक वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध करने एवं नियम-14 (स्पष्टीकरण-3) के तहत चेतावनी की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी थी।

इसके आलोक में श्रीमती सिंह द्वारा अपने पत्रांक-309, दिनांक-22.06.2026 द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी विभाग को दिया गया। श्रीमती कृष्णा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति वारिसनगर, समस्तीपुर के पत्रांक 309 दिनांक- 22.06.2026 द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह पाया गया कि अर्जी में कोई नया तथ्य साम्मिलित नहीं किया गया है, जिस पर पुनर्विचार किया जा सके। श्रीमती सिंह द्वारा पूर्व में समर्पित लिखित अभ्यावेदन / निवेदन की पुनरावृत्ति की गई है। इसलिए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

अतः श्रीमती कृष्णा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति वारिसनगर, समस्तीपुर द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

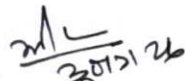
ईमेल/
निबंधित

ज्ञापांक :- स0क0 निग0-139/2022-

4235

पटना-15 दिनांक:- 30/7/2026

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/ प्रमण्डलीय आयुक्त, सारण/ दरभंगा/ निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना/ जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/ समस्तीपुर/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, गोपालगंज/ समस्तीपुर, माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड हेतु), श्रीमती कृष्णा सिंह, तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कटैया, गोपालगंज सम्प्रति वारिसनगर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



संयुक्त सचिव

समाज कल्याण विभाग।